

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./116

/2022 दिनांक : 10 .09.2022

श्रीमती शुभा शर्मा (RJ1069), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कामां (भरतपुर) को दिनांक 12.09.2022 से 17.09.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 10.09.2022 से 11.09.2022 एवं 18.09.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां (भरतपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कामां (भरतपुर) के पद पर ही होने की संभावना है।

अज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
10.09.2022

कमांक:—स्था.बी.2(4)/57/2016/6207

दिनांक : 10 .09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 4260 दिनांक 02.08.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती शुभा शर्मा (RJ1069), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कामां (भरतपुर)।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कामां (भरतपुर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां (भरतपुर)।

12.9.2022
सहायक रजिस्ट्रार